4

अस्मिता पर प्रहार करती कहावतें

सुरभि चावला*

लोक व्यवहार की भाषा हो या फिर साहित्य की भाषा, कहावतों का इस्तेमाल बात को अधिक संप्रेषणीय बनाता है। कहावतें भारतीय भाषाओं का ही नहीं अपितु हर देशी-विदेशी भाषा का अभिन्न अंग हैं। कहावतें बात में रोचकता का पुट उत्पन्न करती हैं, बात को प्रभावशाली बनाती हैं। सुनने वाले को नैतिकता पाठ पढ़ाना हो, नफ़े-नुकसान की बात समझानी हो, नीचा दिखाना हो या फिर आत्मविश्वास पैदा करना हो, कटाक्ष करना हो या किसी बात का सार कहना हो, कहावतें हर स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जाके पैर न फटे बिवाई, ओ का जाने पीर पराई! यह कहावत संवेदनशीलता की बात करती है तो वहीं 'तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर', समझदारी से जीवन निर्वाह करने की सलाह देती है। इस तरह की कहावतें अप्रत्यक्ष रूप से वर्ग, वर्ण और धर्म भेद की संरचनाओं को मज़बूती देती है। पितृसत्ता जातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद और भी बहुत कुछ इन कहावतों से झाँकता है और व्यक्ति विशेष को गहरे तक चोट पहुँचाता है प्रस्तुत शोध पत्र अध्यापकों के भाषायी व्यवहार का अवलोकन आधारित अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के पाँच विद्यालयों को आधार बनाते हुए उनके उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्यापन कर रहे अध्यापकों के भाषायी व्यवहार का शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अवलोकन किया गया।

कहावतें समाज का प्रतिबिंब होती हैं। इनका संघटन और उपयोग सामाजिक संरचना और मूल्यों से निरपेक्ष नहीं होता। कहावतों में भाषा की आदि ताकत यानि कि 'लोक' और 'लोकतत्व' है। बहुत कुछ धनात्मक होने के साथ-साथ कहावतों का एक ऋणात्मक पक्ष यह भी है कि इनमें समाज के पूर्वग्रह और सामाजिक स्तरीकरण भी नज़र आते हैं।

'आप भला तो सब जग भला' सदाचार पर चलने की राह दिखाती है।

'मन के जीते जीत है, मन के हारे हार' हताशा से उबरने की राह दिखाती है।

बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, जो सामाजिक भेदभाव का न सिर्फ़ प्रतिबिंब हैं, बल्कि अपने प्रयोग द्वारा वर्ग एवं जाति विशेष के व्यक्ति को प्रताड़ना

*विद्यार्थी, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

की जकड़बंदी में इस तरह घेरे रखती हैं कि उसकी अस्मिता कोई आकार ले ही नहीं पाती है। इस तरह की कहावतें अप्रत्यक्ष रूप से वर्ग, वर्ण और धर्म भेद की संरचनाओं को मज़बूती देती हैं। पितृसत्ता जातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद और भी बहुत कुछ इन कहावतों से झाँकता है और व्यक्ति विशेष को गहरे तक चोट पहुँचाता है। प्रस्तुत शोध पत्र अध्यापकों के भाषायी व्यवहार का अवलोकन आधारित अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के पाँच विद्यालयों को आधार बनाते हुए उनके उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्यापन कर रहे अध्यापकों के भाषायी व्यवहार का शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अवलोकन किया गया।

अवलोकन का उद्देश्य

यह जानना था कि अध्यापक अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में जब विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं तो वे –

- क्या अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए कहावतों को अपनी भाषा में शामिल करते हैं?
- उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कहावतें किस तरह की होती हैं?
- क्या वे अपने द्वारा इस्तेमाल की गई कहावतों की प्रकृति एवं प्रभाव के बारे में संवेदनशील एवं जागरूक हैं?

अध्ययन की अवधि — चालीस कार्य दिवस

कक्षाएँ — छठी, सातवीं एवं आठवीं।

अध्यापकों की संख्या — 15 (जिन्होंने अपने भाषायी व्यवहार का अवलोकन करने की अनुमति दी।)

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जिन विद्यालयों को शामिल किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं —

1. राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 1, राजनगर, नयी दिल्ली
2. शहीद कैप्टन सुमित राय सर्वोदय कन्या विद्यालय, पालम एन्क्लेव, नयी दिल्ली
3. सर्वोदय बाल विद्यालय नजफ़गढ़ स्टेडियम वाली बिल्डिंग, नयी दिल्ली
4. सर्वोदय बाल विद्यालय, शिकारपुर, नयी दिल्ली
5. सर्वोदय विद्यालय, शाहबाद मौहम्मदपुर, नयी दिल्ली

विद्यालयों के चयन का आधार

अध्ययन के अंतर्गत लिए गए विद्यालयों के चयन का मुख्य आधार इस प्रकार है –

1. निवास स्थान से भौगोलिक दूरी की समीपता।
2. इन विद्यालयों में पिछले तीन वर्ष से सांस्कृतिक संदर्भ एवं प्रशिक्षण स्रोत 'सी.सी.आर.टी.' के सौजन्य से थिएटर इन एजुकेशन की कक्षाएँ लेने के अनेक अवसर मिले थे। इसके कारण इन विद्यालयों को बहुत बारीकी से जानने के मौके मिले। यहाँ की कार्यवाही देखकर इन विद्यालयों को जानने के बारे में और अधिक उत्सुकता हुई।
3. इन विद्यालयों में पहले से कक्षाएँ लेने के कारण अध्ययन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना सुविधाजनक था।
4. उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के साथ पहले से काम करने के कारण उनकी सहज अनुमति मिलना आसान काम था। वास्तविकता तो यही है कि उन अध्यापकों के साथ काम

करना, उनकी भाषा, बोलने की शैली ने ही इस अध्ययन की नींव रखी।

अध्ययन के अंतर्गत लिए गए सभी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत सभी अध्यापकों ने सहजता से अनुमति नहीं प्रदान की, उनके मन में कतिपय शंकाएँ थी जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

1. हमारे भाषायी व्यवहार को लेकर मज़ाक तो नहीं बनाया जाएगा?
2. हमारी एसीआर ने नकारात्मक रिमार्क तो नहीं लिखे जाएँगे?
3. हमारे इन्क्रीमेंट पर तो कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा?
4. हमारी छवि तो नहीं बिगड़ेगी?
5. आपके अध्ययन से हमें फ़ायदा क्या होगा?
6. हमारी भाषा अच्छी है या बुरी, इससे पढ़ाई-लिखाई पर क्या असर पड़ेगा?
7. मान लिया हम अच्छी तरह से बोलते हैं तो उससे विद्यार्थियों को लाभ क्या मिलेगा?
8. अगर हमारे भाषायी व्यवहार में तरह-तरह की खामियाँ हैं तो क्या इस उम्र में आपके सचेत करने भर से मैं सुधार कर पाऊँगी।
9. हमारा तो कभी ध्यान गया ही नहीं इस तरफ कि हम क्या-क्या बोलते रहते हैं, अपने विद्यार्थियों के साथ क्या भागम-भाग की ज़िंदगी में कोई इतनी दूर तक सोचता है कि वह कैसी बानी का प्रयोग कर रहा है?

अध्यापकों ने अवलोकन की अनुमति देने से पहले एक शर्त रखी कि उनके नामों का उल्लेख कहीं भी नहीं किया जाए।

अवलोकन की प्रणाली

- कक्षा अध्यापन के दौरान लिखित रूप से टीपें दर्ज करना।
- प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों के साथ संवाद का अवलोकन एवं टीपें दर्ज करना।

कक्षा अध्यापन के दौरान अध्यापकों के भाषिक व्यवहार के अवलोकन पर आधारित अध्ययन स्पष्ट करता है –

1. अध्यापक अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में कहावतों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं।
2. अध्यापकों को भिन्न-भिन्न भाषाओं में बोली जाने वाली कहावतों के बारे में ज्ञान और उनके उपयोग की भरपूर समझ है।
3. कक्षा शिक्षण के दौरान यानी कि विषय वस्तु को समझाने की प्रक्रिया में कहावतों, जनश्रुतियों, मुहावरों आदि का प्रयोग शून्य के बराबर करते हैं।
4. कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को उनके कम अंकों, निम्नस्तर की शैक्षिक उपलब्धि गैर अनुशासित व्यवहार के लिए डाँटना या टोकना होता है तो अध्यापक तरह-तरह की कहावतों का प्रयोग करते हैं। ये कहावतें सीधे-सीधे वर्ग विशेष, जाति धर्म लिंग भेद आदि पर आधारित होती हैं।
5. अध्यापक इस बात के प्रति सचेत नहीं होते कि उनके भाषिक व्यवहार में समावेशित कहावत लिंग, रंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि के प्रति उनके पूर्वग्रह को दर्शा रही है और विद्यार्थियों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

अध्यापन के अंतर्गत किए गए कुछ अवलोकन प्रस्तुत हैं –

1. आठवीं कक्षा की विद्यार्थी अपनी भाभी की बीमारी से चिंतित है और पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही, उसे उसकी अध्यापिका समझाते हुए कहती है – "जीवे तेरा भ्रा, पाश्भी तेरी गली-गली।" इस कहावत का अर्थ यह है कि भाई स्वस्थ एवं सुरक्षित रहना चाहिए, भाभियाँ तो बहुत सी मिल जाएँगी।

यह कहावत किशोरावस्था में प्रवेश करती हुई लड़की को यह बताने भर में पर्याप्त है कि लड़के बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़कियों का बीमार होना, बीमार होकर चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

2. सामाजिक अध्ययन की कक्षा के द्वारा आगे से तीसरी पंक्ति में बैठे कुछ लड़के फुसफुसा रहे थे और अचानक उनमें से दो लड़के ज़ोर से हँस पड़े। यह व्यवहार कक्षा की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। अध्यापक ने कुछ इस तरह से उनमें से दो विद्यार्थियों को इंगित करते हुए समझाया –

"बाह्मनों का ढोटा काम करै न छोटा।" ऐरे! तू इन नीची कौम वालों के संग रहकर अपनी जात का नाम क्यों डुबो रहा हैं? इस कहावत का अर्थ है उच्च जाति के बच्चों से छोटे काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

एक ओर विद्यालय प्रशासन यह घोषणा करता है कि उनका विद्यालय पूरी तरह से समावेशी विद्यालय है। दूसरी ओर उसी विद्यालय के अध्यापक अपने भाषिक व्यवहार से उस समावेशी नीति का कत्ल करते हैं।

3. कक्षा छह में अवलोकन के दौरान अध्यापिका संस्कृत के श्लोक पढ़कर अर्थ बता रही हैं। उनके आदेशानुसार सभी विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक में देखना है और बताए जा रहे अर्थ को सुनना है। कुछ विद्यार्थी बीच-बीच में आपस में बोल रहे हैं जो अवरोध पैदा करता है। अध्यापिका कम से कम 12 बार टोक चुकी हैं और चुपचाप सुनने के लिए आग्रह कर चुकी हैं। पर विद्यार्थियों द्वारा आपस की बातचीत जारी है तो वह पाँच-छह विद्यार्थियों को खड़ा होने के लिए कहती है और अपना क्रोध इस कहावत को कहकर शांत करती है – "अक्ल ना ग्यान, थप्पड़ खाय समझ भियान।" (मूर्ख को पिटने पर ही अक्ल आती।)

4. कक्षा छह में निबंध लेखन की कॉपियाँ जाँची जा रही हैं। एक विद्यार्थी की कॉपी का निबंध कक्षा के शेष सभी विद्यार्थियों से भिन्न है, यह अनजाने में ही अध्यापक के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने डपटते हुए पूछा कि मैंने तो ये नहीं लिखाया रे छोरे। यह कहाँ से लिख लाया। विद्यार्थी ने सहमते हुए कहा – सर जी! अम्मा ने लिखवाया है। अध्यापक ने कटाक्ष करते हुए कहा – तोरी होयय लो मूली, खरपतवा भइलो साग अगवारे पछवारे, अब सब होय लो सरदार (अब ये साधारण से लोग भी 'विशिष्ट' बन गए है)।

विद्यार्थी इस कहावत का आशय समझा या नहीं यह अलग बात है पर वह कहने के भाव से तो समझ ही गया होगा कि उसके अध्यापक को यह रचनात्मक चेष्टा भली नहीं लगी है।

प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विद्यार्थी और कक्षा के अन्य विद्यार्थी रचनात्मक लेखन के लिए किसी प्रकार की चेष्टा करेंगे?

5. कक्षा सात में कविता पाठ चल रहा है। अवलोकनकर्ता द्वारा सुझाया जाता है कि अमुक कविता की सी.आई.ई.टी. में सी.डी. उपलब्ध है और कविता के रचनाकार का साक्षात्कार भी। तो क्यों न इन बच्चों को सुनाया जाए। इस सुझाव पर उन्हीं बच्चों के सामने प्रतिक्रिया आती है – "पिसनहारी के पूत को चबेना ही लाभ।" (गरीब को जो भी मिल जाए वही बहुत है।) वे पुनः तर्क देते हैं – मैडम इन झुग्गी वाले गरीबन को कक्षा में बैठने को मिल गया यही क्या कम है। इस दृष्टिकोण के रहते नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सफलता पर पूरा संदेह हैं।
6. कक्षा सात में गणित पढ़ाया जा रहा है। अध्यापक ने श्यामपट्ट पर सवाल हल करके दिखाया और एक विद्यार्थी को आगे आकर श्यामपट्ट पर अगला सवाल हल करने के लिए कहा। उस विद्यार्थी ने दो-तीन मिनट तक भरपूर कोशिश की पर सवाल हल नहीं कर पाया। अध्यापक ने प्रोत्साहित न करके बैठे जाने के लिए कहा और एक अन्य विद्यार्थी विशेष की ओर संकेत करते हुए कहा –
   आओ! तुम करके दिखाओ।

वह विद्यार्थी श्यामपट्ट पर उस सवाल की थोड़े से प्रयत्न के बाद हल करके बता देता है। अध्यापक शाबाशी देते हैं और कहते हैं – शाबाश! "अगम बुद्धि बनिया, पच्छम बुद्धि जाट।" (वणिक वर्ग होशियारी के मामले में आगे होता है और जाट इस मामले में पीछे होता है।)

कक्षा में बैठे विद्यार्थी कहावत का अर्थ भले ही न समझ पाएँ हो पर आशय तो समझ ही गए होंगे कि अध्यापक एक वर्ग विशेष को बुद्धिमान की श्रेणी में रख रहे हैं।

शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं स्थिति विशेष का उल्लेख न करते हुए प्रयुक्त की जा रही कहावतें लिख रही हूँ जैसे कि –

- अपनी असल पर आ गया।
- आँख न दीदा काढ़े कशीदा।
- दीवाली की कुल्हिया है री तू तो।
- मुँह लगाई डोमनी बाल बच्चों समेत आए।
- माँ तेलिन बाप पठान, बेटा शाखे जाफरान
- जनम के मंगता, नाम दाताराम।
- गोदी में बैठ के आँख में उँगली।
- गू की कीड़ा गू में ही खुश रहता है।

इन कहावतों के संदर्भ में आपकी ओर से मुख्यतः दो सवाल उठ सकते हैं –

पहला सवाल यह कि क्या सभी अध्यापक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कहावतों का ही प्रयोग करते हैं अथवा क्या वे सकारात्मक प्रोत्साहन भरा प्रभाव उत्पन्न करने वाली, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहावतों का भी प्रयोग करते हैं?

आपका दूसरा सवाल यह हो सकता है कि इस अध्ययन के अंतर्गत जितनी भी कहावतें आयी हैं उनका अर्थ समझना बहुत आसान नहीं, विशेषकर जिस आयु वर्ग के बच्चों को यह कही जा रही हैं। ऐसे में ये चोट कैसे पहुँचाएगी क्योंकि बच्चों को तो समझ में आईं ही नहीं। मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर

देती हूँ। पहला बिंदु तो यह कि बच्चों की समझ को लेकर शंका करना उचित नहीं। वे गूढ़ से गूढ़ बात का मर्म भी समझ लेते हैं।

दूसरा बिंदु यह कि जिस शैली में, जिस संदर्भ में जिस तरीके से ये कही जाती हैं, ये नश्तर चुभोने का काम कर ही जाती है। अब पहले प्रश्न की बात करती हूँ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत कम ऐसे अवसर मिले जब अध्यापकों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कोई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कहावत का प्रयोग किया हो।

यह एक विडंबना ही है कि एक ओर अध्यापकों को गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए समावेशी गतिविधि आधारित शिक्षण युक्तियाँ सिखाई जा रही हैं और भी तरह-तरह के नवाचार किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर वे ऐसी घातक कहावतों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक तरफ तो विद्यार्थियों को आहत करती हैं और विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणाओं को अंकुरित एवं पोषित करती हैं। हमें अध्यापकों को उनके भाषायी व्यवहार के प्रति सचेत करना होगा।

यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि अध्यापकों का भाषायी व्यवहार विद्यार्थियों पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव डालता है अब ज़रूरत इस बात की है कि अध्यापक अपने भाषायी व्यवहार के प्रति सचेत रहें, इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं –

- अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (पूर्व सेवा) में जेंडर, पूर्वाग्रह, भाषायी व्यवहार, समावेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में इन विषयों को समावेशित तो किया गया है परंतु इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अत: सुनिश्चित किया जाए कि अध्यापकों की तैयारी में भी इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा की जाए।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'भाषायी व्यवहार' के संदर्भ में विशेष सत्र, वर्तमान में जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनका मुख्य केंद्र बिंदु कक्षायी शिक्षण प्रक्रियाओं पर होता है, इन कार्यक्रमों में अध्यापकों के स्वयं के 'भाषायी व्यवहार' को आधार बनाकर सत्रों का आयोजन किया जाए जिनमें चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे (अध्यापकों के) बोलने के तरीके से विद्यार्थियों के मानस पर घातक प्रभाव पड़ते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति असफल हो जाती है यदि विद्यार्थियों के प्रति असम्माननीय भाषा का प्रयोग किया जाए।
- अध्यापकों को भाषा और सत्ता, भाषा और जेंडर जैसे विषयों पर लेख पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाए जाएँ। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वे भाषा से जुड़े लेख पढ़ें और एक समझ बनाएँ कि भाषिक व्यवहार को संतुलित करना कितना अनिवार्य है।
- विद्यालय के स्टॉफ़ रूप में औपचारिक-अनौपचारिक रूप से ऐसे सत्रों का आयोजन किया जाए जब अध्यापक एक-दूसरे के भाषिक व्यवहार का बिना किसी पूर्वग्रह/दुराग्रह के अवलोकन करें और एक-दूसरे को सराहें जब उनका भाषिक व्यवहार

प्रोत्साहित करने वाला, परिष्कृत एवं सम्मान देने वाला है। वे एक-दूसरे को सचेत भी करें जब वे प्रताड़ित करने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हों।

- प्रधानाध्यापक, अध्यापक-प्रशिक्षकों के द्वारा अध्यापकों को स्वयं के भाषायी व्यवहार का स्वअवलोकन करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानाध्यापकों का स्वयं की भाषा संयत होनी ज़रूरी है। यदि अध्यापक अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा, संबोधन पर गौर करेंगे तो खुद-ब-खुद समझ बनाएँगे कि वे कहाँ पर सही हैं और कहाँ गलत हैं।

स्थिति विशेष के अनुसार और भी तरीके खोजे जा सकते हैं जिनके द्वारा अध्यापकों को उनके भाषायी व्यवहार के प्रति सचेत किया जा सके।